राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.17(10)नविवि/नियम/2023

जयपुर दिनांक : 03 AUG 2023

आदेश

राज्य सरकार द्वारा मेडिकल सुविधाओं को सुदृढ किये जाने एवं भविष्य में आपदा की स्थिति में राज्य में आमजन हेतु उचित मेडिकल सुविधा/संसाधन उपलब्ध कराये जाने के उद्धेश्य से चिकित्सा क्षेत्र को प्रोत्साहित किये जाने बाबत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा DBCWP 1554/2014 के क्रम में पारित निर्णय, कोविड–19 महामारी तथा प्रशासन शहरो के संग अभियान–2021 के दृष्टिगत. समय–समय पर जारी विभागीय आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 पार्ट दिनांक 20.07.2017 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 02.06.2021, 20.02.2023 तथा 15.06.2023 के क्रम में विभिन्न छूटे प्रदत्त की गई है। प्रदत्त छूटों को निम्नानुसार पुनः स्पष्ट किया जाता है :–

1. DBCWP 1554/2004 याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार मास्टर प्लान के भू–उपयोगों में व्यापक जनहित में ही भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। विभागीय आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 पार्ट दिनांक 20.07.2017 के अनुसार, व्यापक जनहित के उपयोगो में "शैक्षणिक व चिकित्सा संस्थानों" को भू–उपयोग परिवर्तन की दृष्टि से वृहत जनहित के अन्तर्गत माना गया है। अतः ईकोलॉजिकल जोन, ईकोसेन्सिटिव जोन, आमोद–प्रमोद (पार्क, प्ले ग्राउण्ड, खुले स्थल आदि) को छोडकर मास्टर प्लान के अन्य भू–उपयोगों से, "चिकित्सा संस्थान" प्रयोजन हेतु भू–उपयोग परिवर्तन अनुमत किया गया है।
2. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 02.06.2021 के द्वारा वर्तमान में संचालित चिकित्सा संस्थानों (मेडिकल कॉलेज/चिकित्सालयों) के विस्तार के प्रकरण, कृषि/अकृषि भूमि, निजी/राजकीय भूमि पर चिकित्सा सुविधाओं हेतु नव प्रस्तावित परियोजनाएं स्थापित किये जाने के प्रस्ताव, गैर आवासीय प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि अथवा विद्यमान भवन का चिकित्सा सुविधाएं विकसित किये जाने बाबत आंशिक अथवा पूर्ण रूप से उपयोग, सामाजिक सुविधाएं विकसित किये जाने हेतु रियायत दर पर आवंटित भूमि पर चिकित्सा सुविधाएं विकसित किये जाने के प्रकरणों के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से निम्न छूट/शिथिलताएं व्यापक जनहित के अन्तर्गत मानते हुए प्रदान की गई :–

(i) मेडिकल सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों को व्यापक जनहित के अन्तर्गत मानते हुए, मास्टर प्लान के समस्त भू–उपयोगों (ईकोलॉजिकल/ईकोसेन्सिटिव/ पार्क, खुले स्थल आदि को छोडकर) में अनुज्ञेय उपयोग की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है एवं इन उपयोगों में स्थित कृषि/अकृषिक भूमि पर उक्त गतिविधिया अनुज्ञेय की जा सकेगी अर्थात इन उपयोगों में मेडिकल सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों हेतु चाहे गये प्रयोजन के अनुरूप सीधे ही भूमि रूपान्तरण/संपरिवर्तन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(ii) विद्यमान आवासीय योजनाओं में चिकित्सा सुविधाएं पूर्व में अकृषि प्रयोजनार्थ स्वीकृत एकल पट्टा प्रकरणों, गैर आवासीय भूखण्डों/भवनों एवं विद्यमान आवासीय योजना के ऐसे क्षेत्र जिनका मास्टर प्लान में भू–उपयोग वाणिज्यिक/मिश्रित/संस्थानिक दर्शाया गया है, पर ही देय होंगी। ऐसे प्रकरणों में भू–उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया, राय एवं भू–उपयोग परिवर्तन समिति की रखने की आवश्यकता नही होगी, विज्ञप्ति जारी कर भू–उपयेाग परिवर्तन की कार्यवाही सक्षम स्तर से की जा सकेगी। विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15.06.2023 के अनुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान–2021 की अवधि में समस्त क्षेत्रफल के भूखण्डों हेतु सक्षम अधिकारी सक्षम है।

(iii) उपरोक्त बिन्दु संख्या (i) व (ii) में उल्लेखित प्रकरणें के अतिरिक्त अन्य प्रकरणों में मेडिकल सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों हेतु व्यापक जनहित में नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जा सकती है।

(iv) चिकित्सा सुविधाओं हेतु भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क में शत–प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

(v) विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11.08.2021 के द्वारा मेडिकल सेक्टर के अन्तर्गत आने वाले मेडिकल संस्थान यथा मल्टी–स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, डिस्पेंसरी (एलोपैथी/आयुर्वेद/प्राकृतिक/होम्योपैथी/यूनानी) के लिए कृषि भूमि की अनुज्ञया एवं आवंटन पर उक्त नियमों के नियम 9 उपनियम (1) के अधीन देय प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

(vi) उपरोक्त छूटें दिनांक 31.03.2022 तक आवेदित प्रकरणों पर ही प्रदत्त की गई थी उक्त अवधि को विभागीय आदेश दिनांक 20.02.2023 के द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक बढाया जा चुका है। अतः दिनांक 31.03.2024 तक नगरीय निकाय में आवेदित प्रकरणों में उपरोक्तानुसार छूट देय होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(संचिता बिश्नोई)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप नगर नियोजक/उप्र विधि परामर्शी नगरीय विकास विभाग।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम